

अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2020 (RCMS 2020/00013) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 46F/986463) बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर

17.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर प्रार्थी को हर्जाना दिलाने की प्रार्थना की है और वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्रांक दिनांक 23.10.2019 में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 5 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना।
2. प्रार्थी के पत्रांक दिनांकित 23.10.2019 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. प्रार्थी के पत्रांक के आपके कार्यालय का पत्रांक का आर आर नम्बर व दिनांक की सूचना।
4. प्रार्थी के पत्रांक में अंकित दिनांक 21.09.2000 के सम्बन्ध में बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा एक ही दिन 06.04.14 को चुनाव दिवस लोकसभा में श्रीगंगानगर व जोधपुर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपस्थिति दर्ज करवाने पर उसे जारी आरोप पर धारा 16 सीसीए में की गई निलम्बन कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति कार्यवाही की।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना निलम्बन की कार्यवाही जिस अधिकारी द्वारा नहीं की गई उसकी सूचना।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 61 दिनांक 28.01.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

क्र.सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1	पत्रांक दिनांक 23.10.2019 में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 5 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना।	आपके क्रमांक के सम्बन्ध में दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक 3190 दिनांक 18.12.2019 द्वारा पत्र भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।
2	प्रार्थी के पत्रांक दिनांकित 23.10.2019 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	प्रार्थी के पत्र पर उपखण्ड अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभारी लिपिक द्वारा कार्यवाही की गई है।
3	प्रार्थी के पत्रांक के आपके कार्यालय का पत्रांक का आर आर नम्बर व दिनांक की सूचना।	आर आर नम्बर 2386 दिनांक 31.10.2019 पर दर्ज है।
4	प्रार्थी के पत्रांक में अंकित दिनांक 21.09.2000 के सम्बन्ध में बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा एक ही दिन 06.04.14 को चुनाव	निलम्बन की कार्यवाही बीएलओ के सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।


	दिवस लोकसभा में श्रीगंगानगर व जोधपुर उपस्थिति दर्ज करवाने पर उसे जारी आरोप पर धारा 16 सीसीए में की गई निलम्बन कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति कार्यवाही की।	
5	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना निलम्बन की कार्यवाही जिस अधिकारी द्वारा नहीं की गई उसकी सूचना।	निलम्बन की कार्यवाही बीएलओ के सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।

अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.01.2020 को उक्त प्रतिवेदन के अनुसार जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं

दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इसप्रकार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरन्त तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर